भारतीय प्रशासनिक स्टाफ कालेज, ने कोल इंडिया लि० को एक धारक कंपनी के रूप में परिसमापन किए जाने की सिफारिश की थी।

सचिवों की समिति ने इस मामले पर विचार-विमर्श किया और यह सिफारिश की कि कोल इंडिया लि० को धारक कंपनी के रूप में ही जारी रखना अधिक सुविधाजनक होगा।

भारतीय प्रशासनिक स्टाफ कालेज को इस अध्ययन का कार्य किए जाने के लिए 1,35,000 रु० की राशि अदा की गई थी। श्री फजल के अंतर्गत विशेषज्ञ समिति और डा० सेन गुप्ता के अंतर्गत समिति का गठन वित्त मंत्रालय द्वारा किया गया था और उक्त समितियों ने कई सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के क्रियाकलापों की जांच की थी, जिसमें कोल इंडिया लि० की जांच भी शामिल थी। अतः कोयला क्षेत्र के लिए इस पद के अंतर्गत किए गए व्यय का अलग से ब्यौरा प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है।

बिजली, इस्पात तथा सीमेंट उद्योग को कोयले की सप्लाई कम मात्रा में किया जाना

1991. **सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :**
डा० जिनेन्द्र कुमार जैन :

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में पिछले कई वर्षों से बिजली उत्पादन क्षेत्र, इस्पात तथा सीमेंट उद्योग की मांग के अनुरूप कोयले की सप्लाई नहीं की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने भविष्य में इन उद्योगों को कोयला खानों से स्वतः ही कोयला खनन करने की अनुमति देने पर विचार किया है; और

(ग) इस प्रस्ताव को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है ?

कोयला मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एस०बी० नयमेगौडा) : (क) वर्ष 1991–92 में, विद्युत, इस्पात तथा सीमेंट संयंत्र की कोयले की कुल आपूर्ति में वर्ष 1990–91 में की गई आपूर्ति की तुलना में वृद्धि हुई है और वर्ष 1989–90 में की गई आपूर्ति की तुलना में वर्ष 1990–91 में वृद्धि हुई है। इन क्षेत्रों में वर्ष 1989–90, 1990–91 तथा 1991–92 में कोयले की मांग की संतोषप्रदता समग्र रूप में क्रमशः 89%, 90% तथा 93% रही है।

(ख) और (ग) कोयला खान राष्ट्रीयकरण अधिनियम, 1973 के उपबंधों के अधीन कोयले/लिग्नाइट का लौह एवं इस्पात उद्योग द्वारा उपभोग किए जाने के खनन कार्य और ऐसे क्षेत्रों में लघु रूप में खनन किए जा रहे कार्य को जो कि आर्थिक विकास की दृष्टि से उपयोगी नहीं है तथा जिन क्रियाकलापों में रेल परिवहन अपेक्षित नहीं है और जो खनन कार्य ग्रहीत रूप में किए जा रहे हैं को छोड़कर, खनन कार्य सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित हैं। किंतु ग्रहीत उपभोग के लिए विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में निजी यूनिटों को कोयला खानों को पट्टेदारी पर दिए जाने के लिए अधिनियम में संशोधन किए जाने का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन द्वारा कच्चे माल की खरीद

1992. **श्री राम अवधेश सिंह :** क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन द्वारा पिछले 3 वर्षों के दौरान खरीदे गये कच्चे माल के ब्यौरे सहित निविदाओं तथा सीधे बातचीत के माध्यम से खरीदे गये कच्चे माल के आंकड़े क्या-क्या हैं;

(ख) क्या यह सच है कि कतिपय मदों को एल-I से इतर अन्य पक्षकारों से खरीदा गया था, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन में नियोजित हरिजनों तथा आदिवासियों की पदोन्नति के मामले में भेदभाव बरता गया है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार इस संबंध में दोषी व्यक्तियों को दंडित करने के उद्देश्य से इस मामले की जांच एक संसदीय समिति अथवा केन्द्रीय जांच ब्यूरो से करवाने का विचार रखती है

कोयला मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एस०बी० नयमेगौड़ा) : (क) और (ख) नेयवली लिग्नाइट कारपोरेशन विद्युत का उत्पादन अपने ताप विद्युत गृह के द्वारा और लेको का उत्पादन ब्रिकेटिंग तथा कार्बोनाइजेशन संयंत्र द्वारा करती है जिसके लिए लिग्नाइट उसकी ग्रहीत खानों से प्रयोग किया जाता है। उर्वरक संयंत्र में यूरिया को उत्पादन किए जाने के लिए निम्न मात्रा में सल्फर हैवी स्टाक (एल०एस०एच०एस०) की खरीद भारतीय तेल निगम की तेल समन्वय समिति द्वारा निर्धारित दरों पर की जाती है।

अन्य वस्तुओं, के भण्डारण तथा उपभोग वस्तुओं आदि की खरीद के संबंध में निविदा की प्रक्रिया अपनाई जाती है तथा सबसे कम निविदा संबंधी पेशकश को स्वीकार किया जाता है, बशर्ते कि वह तकनीकी तथा वाणिज्यिक आवश्यकता को पूरा करती हो।

(ग) नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन में कार्यरत हरिजनों तथा आदिवासियों की पदोन्नति के मामले में कोई भेदभाव नहीं किया जाता है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

Shortage of soft coke in the capital

1993. SHRI SHABBIR AHMAD SALARIA: Will the Minister of COAL be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there has been acute shortage of soft coke in the capital during the past two months·

(b) what is total quantity required in Delhi and how much is being supplied;

(c) whether due to shortage of soft coke in the capital, poor people have been largely affected;

(d) if so, whether Government have received several representations in this regard; and

(e) if so, by when Government propose to take effective steps in this regard?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COAL (SHRI S. B. NYAMAGOUDA): (a) and (b) Monthly allocation of soft coke for Delhi is 9,000 tonnes. Despatches of soft coke to Delhi during the year 1991-92 (upto January, 1992) have been 21,490 tonnes. No soft coke could be despatched to Delhi lately since Bharat Coking Coal Limited which is the main source for supplying soft coke to Delhi, have stopped production of soft coke on account of restrictions imposed by the State Government of Bihar on grounds of pollution control.

(c) to (e) Government have received representations to step up soft coke despatches to Delhi. Keeping in view the sharp reduction in soft coke production, coal companies have offered to meet the shortfalls by supply of steam coal in lieu of allocated quantities of soft coke. Ministry of Coal has advised coal companies to step up production and despatches of sofe cake to the extent possible.

Inferior quality of coal of Coal India Limited

1994. SHRI CHATURANAN MISHRA: Will the Ministtr of COAL be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there are complaints to the effect that the coal supplied by the Coal India Limited is of inferior quality; and

(b) if so, what measures are proposed to be taken to improve the quality of Coal?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COAL (SHRI S. B. NYAMAGOUDA): (a) and (b) There